

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला-पाली

पीठासीन अधिकारी – श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या – 10/2024

तारीख दायरा – 07.03.2024

प्रार्थी :-


1. अब्दुल समद पुत्र ईसमाईल खांजी, जाति मुसलमान, निवासी देसूरी।

:- विरुद्ध :-

अप्रार्थीगण :-

1. अली हुसैन पुत्र इस्माईलखांजी
2. एजाजअली पुत्र अली अकबरखांजी
जातिगण-शेख मुसलमान, निवासीगण-देसूरी, तहसील-देसूरी।
3. स्व0 भंगाराम पुत्र मोतीजी के वारिसान:-
 - 3/1 बंशीलाल पुत्र भंगाराम जी
 - 3/2 शांति पुत्र भंगारामजी
 - 3/3 बदामी पुत्री भंगारामजी
 - 3/4 लीला पुत्री भंगाराम जी
 - 3/5 स्व0 पुखराज पुत्र भंगाराम जी के वारिसान:-
 1. जितेन्द्र पुत्र पुखराज
 2. देवेन्द्र पुत्र पुखराज
 3. खुशबु पुत्री पुखराज
 4. पूनम पुत्री पुखराज
 5. रेखा पुत्री पुखराज
 6. सुशीला पत्नी पुखराज
4. शंकरलाल पुत्र कानाराम
5. चम्पालाल पुत्र कानाराम
6. सुरेश पुत्र कानाराम
7. धर्म देवी पत्नी कानाराम
8. भंवरी पुत्री कानाराम
9. मोहनी पुत्री कानाराम
10. कमला पुत्री कानाराम




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

11. सुकी पुत्री कानाराम
12. पिस्ता पुत्री कानाराम
13. भंवरलाल पुत्र हकाराम
14. सोहनलाल पुत्र हकाराम
15. जेठाराम पुत्र हकाराम
16. मदनलाल पुत्र हकाराम
17. अमित कुमार पुत्र हकाराम
18. हरकूबाई पत्नी हकाराम
- जातिगण-लवार, निवासीगण-देसूरी
19. मृत शंकरलाल पुत्र छोगाराम के वारिसान
 - 19/1 प्रकाश पुत्र शंकरलाल
 - 19/2 हेमचंद्र पुत्र शंकरलाल
 - 19/3 भाग्यवती पुत्री शंकरलाल
- कुदरती वलिया नाना गमनाराम पुत्र मोतीजी, जाति-लवार, निवासी-रामाजी गुडा
20. मनोहर लाल पुत्र भूराराम
21. हिम्मत पुत्र भूराराम
22. लीला पुत्री भूराराम
23. संगीता पुत्री भूराराम
24. पतासी बाई पत्नी भूराराम
25. पूनाराम पुत्र मूलाजी
26. जगदीश पुत्र मूलाजी
- जातिगण-लवार, आयु तमाम-वयस्क, निवासीगण-देसूरी, तह:-देसूरी जिला-पाली।
27. तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी


उपस्थिति-

- 1- श्री फिरोज खान शेख वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- 2- अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28/3/2024

1 = प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम देसूरी तहसील-देसूरी जिला-पाली (राज.) के नए खसरा नंबर 2107, 2108, 2109, 2010, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120 कुल रकबा 7.0400 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि सहखातेदारी की है। उक्त भूमि के संबंध में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



(विशेषी 12)

सहायक जज (पाली)
(एस.जी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय में प्रार्थी अब्दुल समद व उसकी माता सकिना बानु ने प्रस्तुत किया था जिसके राजस्व मूल वाद संख्या 63/2014 थे। उक्त वाद सकिना बानु बनाम अली हुसैन व अन्य अनवान से चला। उक्त वाद का निर्णय (अंतिम डिक्री) दिनांक 10.03.2021 को हो चुका है। निर्णय की फोटोप्रति संलग्न है।

2 - यह है कि उक्त वाद पत्र में भगाराम पुत्र मोती जी प्रतिवादी संख्या 3 दर्ज है। तथा धमी देवी पत्नी कानाराम जी प्रतिवादी संख्या 7 दर्ज है एवं लीला पुत्री भूराराम जी प्रतिवादी संख्या 22 पर दर्ज है।


3 - यह है कि भगाराम का देहान्त होने से उनके विधिक वारिसान एवं कायम मुकाम 1- बंशीलाल पुत्र भगाराम, 2- शांति पुत्र भगाराम, 3- बदामी पुत्री भगाराम, 4- लीला पुत्री भगाराम, 5- स्वर्गीय पुखराज पुत्र भगाराम है।

4 - यह है कि उपरोक्त वर्णित स्वर्गीय पुखराज पुत्र भगाराम के विधिक वारिसानों के नाम 1- जितेन्द्र पुत्र पुखराज, 2- देवेन्द्र पुत्र पुखराज, 3- खुशबु पुत्री पुखराज, 4- पूनम पुत्री पुखराज, 5- रेखा पुत्री पुखराज, 6- सुशीला पत्नी पुखराज का नाम अंतिम निर्णय आदेश में दर्ज है, परन्तु कलरीकल मिस्टेक व भूल से डिक्री पर्चा में नाम नहीं लिखे गए हैं जिससे निर्णय की पालना में नामान्तरण में परेशानी आ रही है। अतः उक्त कलरीकल मिस्टेक को न्यायालय के आदेश द्वारा दुरुस्त किया जाकर पुखराज के विधिक वारिसान को डिक्री पर्चा में जोड़ा जावे।

5 - यह है कि धमी देवी पत्नी कानाराम व लीला पुत्री भूराराम जी का नाम डिक्री पर्चा में प्रतिवादीगण कम संख्या 7 व 22 पर दर्ज है परन्तु न्यायालय के आदेश में कलरीकल मिस्टेक से इन दोनों प्रतिवादीगणों का नाम अंतिम निर्णय आदेश में नहीं लिखे गए हैं। इनके नाम अंतिम निर्णय आदेश में दर्ज कराकर दुरुस्त करावे।

6 - अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर डिक्री पर्चा व अंतिम निर्णय आदेश में उपरोक्त अनुसार दुरुस्ती कर संशोधित डिक्री पर्चा व अंतिम निर्णय आदेश जारी कराने हेतु निवेदन किया गया।

7 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल राजस्व वाद संख्या 63/2014 निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2021 की मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस शमायत की गई। मूल पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व मूल वाद संख्या 63/2014 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2021 न्यायालय द्वारा त्रुटि होना जाहिर होता है। अतः आदेश में हुई त्रुटियों का उपरोक्तानुसार दुरुस्ती कर निर्णय आदेश एवं डिक्री पर्चा संशोधित पारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।



सहायक वरिष्ठ
(ए.ओ.) देसू (पाली)

8 - अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार योग्य पाया जाता है जिसे स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार स्वर्गीय पुखराज के विधिक वारिसानों के नाम निर्णय के आदेश में दर्ज है लेकिन डिक्री पर्व में दर्ज नहीं होने से 1. जितेन्द्र पुत्र पुखराज, 2. देवेन्द्र पुत्र पुखराज, 3. खुसबु पुत्री पुखराज, 4. पुनम पुत्री पुखराज, 5. रेखा पुत्री पुखराज, 6. सुशीला पत्नी पुखराज के नाम डिक्री पर्व में दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

9 - प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के अनुसार धर्मी देवी पत्नी कानाराम व लीला पुत्री भुराराम का नाम डिक्री पर्व में दर्ज है लेकिन निर्णय आदेश में दर्ज नहीं होने से धर्मी देवी पत्नी कानाराम व लीला पुत्री भुराराम निर्णय आदेश में प्रतिवादीगण क्रम संख्या 7 व 22 पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार संशोधित आदेश पारित किया जाता है उक्त निर्णय आदेश मूल राजस्व वाद संख्या 63/2014 निर्णय एवं डिक्री पर्व का दिनांक 10.03.2021 का भाग समझा जावे। तहसीलदार देसूरी तदानुसार राजस्व रिकर्ड में अमलदरामद करे एवं नक्शों में तरमीम किया जावे। संशोधित डिक्री पर्व जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं संशोधित डिक्री पर्व की सत्यापित प्रति पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।


18/03/2024

(विवेक व्यास)

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.देसूरी (पाली))

आदेश आज दिनांक 28/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।



विवेक व्यास

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ. देसूरी (पाली))

डिकी बमूकददमें इब्तादाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

संशोधित

अज अदालत:- सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला-पाली, राज.


बइजलास:- श्री विवेक व्यास (आरएएस)

मुकदमा संख्या:- राजस्व विविध 10/2024

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक:- 07.03.2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अब्दुल समद पुत्र ईसमाईल खांजी, जाति मुसलमान, निवासी देसूरी।		1. अली हुसैन पुत्र इस्माईलखांजी 2. एजाज अली पुत्र अली अकबरखांजी जातिगण-शेख मुसलमान, निवासीगण-देसूरी, तहसील-देसूरी। 3. स्व0 भंगाराम पुत्र मोतीजी के वारिसान:- 3/1 बंशीलाल पुत्र भंगाराम जी 3/2 शांति पुत्र भंगारामजी 3/3 बदामी पुत्री भंगारामजी 3/4 लीला पुत्री भंगाराम जी 3/5 स्व0 पुखराज पुत्र भंगाराम जी के वारिसान:- 1. जितेन्द्र पुत्र पुखराज 2. देवेन्द्र पुत्र पुखराज 3. खुशबु पुत्री पुखराज 4. पूनम पुत्री पुखराज 5. रेखा पुत्री पुखराज 6. सुशीला पत्नी पुखराज 4. शंकरलाल पुत्र कानाराम 5. चम्पालाल पुत्र कानाराम 6. सुरेश पुत्र कानाराम 7. धमी देवी पत्नी कानाराम




सहायक कलेक्टर
(ए.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

8. भंवरी पुत्री कानाराम
9. मोहनी पुत्री कानाराम
10. कमला पुत्री कानाराम
11. सुकी पुत्री कानाराम
12. पिरता पुत्री कानाराम
13. भंवरलाल पुत्र हकाराम
14. सोहनलाल पुत्र हकाराम
15. जेठाराम पुत्र हकाराम
16. मदनलाल पुत्र हकाराम
17. अमित कुमार पुत्र हकाराम
18. हरकूबाई पत्नी हकाराम
- जातिगण-लवार, निवासीगण-देसूसी
19. मृत शंकरलाल पुत्र छोगाराम के वारिसान
- 19 / 1 प्रकाश पुत्र शंकरलाल
- 19 / 2 हेमेश पुत्र शंकरलाल
- 19 / 3 भाग्यवती पुत्री शंकरलाल
- कुदरती वलिया नाना गमनाराम पुत्र मोतीजी,
- जाति-लवार, निवासी-रामाजी गुडा
20. मनोहर लाल पुत्र भूराराम
21. हिमत पुत्र भूराराम
22. लीला पुत्री भूराराम
23. संगीता पुत्री भूराराम
24. पतारसी बाई पत्नी भूराराम
25. पुनाराम पुत्र मूलाजी
26. जगदीश पुत्र मूलाजी
- जातिगण-लवार, आयुतमाम-वयस्क,
- निवासीगण-देसूसी, तह.-देसूसी जिला-पाली।
27. तहसीलदार देसूसी।

राजस्व विविध:- प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी


मु.सं. :- 10 / 2024

मुकदमा आज वास्ते इन फिसाइल कटई रुबरू हमारे वकील श्री किरोज खान शेख मिनजानिव मुदर्ह उपस्थित अप्रार्थगण अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार में मूल वाद संख्या 63 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 न्यायालय के आदेश में त्रुटि होने से संशोधित डिक्री पचां जारी किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार स्वर्गीय पुखराज के विधिक वारिसानों के नाम निर्णय आदेश में दर्ज है लेकिन



सहायक कलेक्टर

(गम.सो.अं.) देसूसी (पाली)



डिक्री पर्चा में दर्ज नहीं होने से जितेन्द्र पुत्र पुखराज, देवेन्द्र पुत्र पुखराज, खुशबु पुत्री पुखराज, पुनम पुत्री पुखराज, रेखा पुत्री पुखराज, सुशीला पत्नी पुखराज के नाम डिक्री पर्चे में दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पैरा संख्या 5 के अनुसार धमी देवी पत्नी कानाराम व लीला पुत्री भुराराम का नाम डिक्री पर्चा में दर्ज है लेकिन निर्णय आदेश में दर्ज नहीं होने से धमी देवी पत्नी कानाराम व लीला पुत्री भुराराम निर्णय आदेश में प्रतिवादी कम संख्या 7 व 22 पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार संशोधित आदेश पारित किया जाता है। उक्त संशोधित डिक्री पर्चा मूल वाद संख्या 63/2014 निर्णय दिनांक 10.03.2021 का भाग समझा जावे। तहसीलदार देसूरी तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद दर्ज करे एवं नक्शों में तरमीम किया जावे।





(विवेक त्यास)

सहायक कलक्टर

सहायक डिक्री क्लर्क
(एस.जी.ओ.) धर्मो (पत्नी)

लीज..... मुवाकिल..... वाबत..... खर्चा इस मुकदमें मय सुद व..... को अदा
पहर..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक.....
करे।
वसूल भूरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख:- 28/3/2024




सहायक कलक्टर
(एस.जी.ओ.) धर्मो (पत्नी)

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील खर्चा गावाहान फीस कमीश्नर वाबन इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनताना वकील खर्चा गावाहान फीस कमीश्नर वाबन इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		